पत्र-संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-पदोन्नति-2016-17/ 2340 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(स्थापना-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16, अगस्त, 2018,

// आदेश //

रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैक्स स्टैटिस्टकल स्टाफ एसोशियेसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02-04-2018 के क्रम में शासन के पत्रांक-1282/11-3-2018-242/12 टी0सी0 दिनांक 03-08-2018 के अनुपालन में वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में सांख्यिकीय संवर्ग की विभागीय प्रोन्नति कोटा की चयन वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 की रिक्तियों पर नियमित प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983/ 1997 में समय-समय पर हुए संशोधनो के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली के नियम 5(2) 5(3) 5(4) एवं नियम 16 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित विभागीय तृतीय श्रेणी संख्यिकीय संवर्ग के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-02/01/पी/एस-5/2017-18 दिनांक10-08-2018 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा प्रेषित उक्त संस्तुति के क्रम में निम्न चयनित / कार्यरत अपर सांख्यिकीय अधिकारियो को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 Rs. 9300-34800 +ग्रेड पे Rs. 4800) (दिनांक 01-01-2016 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स लेबल-8 (रु047600-151100) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0स0	सांख्यिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	चयन वर्ष संवर्ग का नाम जिससे पदोन्नति प्रस्तावित है
1	2		3
1	40	श्री चैतन्य कुमार मल्होत्रा	(चयन वर्ष 2013-14) सांख्यिकीय संवर्ग
2	43	श्री अश्वनी कुमार	"
3	44	श्री विपिन चन्द्र शर्मा	"
4	45	श्री शिव बहादुर राम	"
5	46	श्री राम कीर्ति यादव	"
6	47	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	(चयन वर्ष 2014-15)
7	48	श्री शैलेश गुप्ता	"
8	49	श्री अरविन्द कुमार	(चयन वर्ष 2015-16)
9	50	श्री अखिलेश द्विवेदी	"
10	51	श्री संजय कुमार	"
11	52	श्री मारकण्डेय तिवारी	"
12	53	श्री प्रेम शंकर पाण्डेय	"
13	54	श्री वसीम अख्तर सिद्दीकी,	"
14	55	श्री प्रमोद कुमार सिंह	(चयन वर्ष 2016-17)

15	56	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	"
16	57	श्री भानू प्रताप सिंह	"
17	58	श्री सन्तोष कुमार	"
18	59	श्री बृजेन्द्र सिंह	"
19	60	श्री सर्वेश कुमार सागर	"

(क) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति मानी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त वाणिज्य कर, अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में अलग से नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ग) उक्त नव पदोन्न्त वाणिज्यकर अधिकारियों को संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) मुख्यालय / डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि0कमि0 (प्रशासन) वाणिज्य कर, अपने अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती स्थान पर इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करे कि वे अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत् कार्य करते रहेगें।

(घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नही होगा तो यह माना जायेगा कि वह वाणिज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नही है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत /व्यावहारिक प्रशिक्षण, वाणिज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने की किसी भी प्रार्थना को माना जायेगा। अत: जिस अधिकारी को लगता है कि वह अपनी जटिल पारिवारिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के कारण इस आधार भूत व्यवहारिक प्रशिक्षण में भाग नही ले सकता है, वह पदोन्नति फोरगो (Forgo) कर सकता है। भविष्य में इस प्रशिक्षण में भाग न लेने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार प्रत्यावर्तित करने के अतिरिक्त अन्य अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(ड) उक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।

(च) उक्त सभी पदोन्नतियॉ रिट या0सं0 61917/ 2008 बाबू खॉ बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्या 10665 / 2006 एवं रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैकस स्टैटिस्टकल स्टाफ एसोशियेसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।

(छ) समस्त सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/ वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/ अपील/उच्च न्यायालय कार्य / ज्वाइन्ट कमिश्नर मुख्यालय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को पदोन्नत के उक्त पद पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराना सुनिशचित करे तथा जो कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हो उनसे पदोन्नति फोरगो का प्रार्थना पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-02/01/पी/एस-5/2017-18 दिनांक 10-08-2018 के सन्दर्भ में दो प्रतियॉ।

2- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1282/11-3-2018-242/12टी0सी0 दिनांक 03-08-2018 के सन्दर्भ में।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

5- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित कि वे नव पदोन्नत उक्त वाणिज्य कर अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना आन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से तथा हार्ड कापी विशेष वाहक के माध्यम से 23-08-2018 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इसी क्रम में अपने जोन के समस्त नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों में से जो अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक न हों उनसे पदोन्नत फोरगो संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त करके एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को अवगत करायेगें।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-ए-35545/2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैकस स्टैटिस्टकल स्टाफ एसोशियेसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-04-2018 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यथा समय प्रस्तुत कराने हेतु प्रेषित।

9- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सेवावाद)वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को रिट याचिका संख्या-ए-35545/ 2015 उत्तर प्रदेश कामर्शियल टैकस स्टैटिस्टकल स्टाफ एसोशियेसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-04-2018 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष यथा समय प्रस्तुत कराने हेतु प्रेषित।

10- समस्त मुख्य कोषधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि पदोन्नति कार्मिकों में से अपने अनुभाग में कार्यरत कार्मिक को कार्यभार ग्रहण कराकर कार्यभार प्रमाण पत्र स्थापना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

13- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।

14- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/ उच्च न्यायालय कार्य)उत्तर प्रदेश।

15-समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/वि0अनु0शा0/प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

16- संबंधित कर्मचारियो को नाम से।

17-ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर,मुख्यालय को उक्त प्रोन्नति आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रोन्नत आदेश की एक प्रति तत्काल विभागीय बेबसाईट पर तुरन्त अपलोड़ कराने का कष्ट करें।

18- मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय।

19- कम्प्यूटर आपरेटर (स्थापना राजपत्रित कक्ष) मुख्यालय ।

20- स्था0-2, पटल (श्री वैभव दूबे/श्री राहुल /श्री वीरेन्द्र आर्य) को 20 अतिरिक्त प्रतियॉ संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों में रखने हेतु।

21- चरित्र पंजिका पटल को दो प्रतियॉ।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।